तालिका-02
स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में

क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.व. संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप संचालक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	0	6	4	2	30	29	1	38	35	3
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/निज सचिव	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	वन क्षेत्रपाल	1	1	0	0	0	0	10	10	0	11	11	0
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	171	9	180	171	9
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	आंतरिक अंकेक्षक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
23	लेखा अधीक्षक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	3	1	6	5	1	27	17	10	37	25	12
26	कनिष्ट लेखापाल	7	7	0	0	0	0	21	20	1	28	27	1
27	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	9	.2	6	7	.1	31	26	5	44	42	2
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग–3/ स्वागतकर्ता	21	10	11	6	6	0	61	27	34	88	43	45
31	वाहन चालक	12	11	1	4	3	1	18	8	10	34	22	12
32	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	संदेशवाहक	16	9	7	12	8	4	48	23	25	76	40	36
34	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग:-	108	87	21	40	33	7	426	331	95	574	451	123

टीप : उपरोक्त के अतिरिक्त संघ में संदेशवाहक (सांख्येतर) पद में 30 एवं सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर 01 अंकेक्षण अधिकारी कार्यरत है।

23.1 वनोपज सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन :-

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्था है। जिसके 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन सदस्य है एवं जिनकी 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां सदस्य है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। वर्तमान में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 31 में से 26 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है। शेष 05 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल के निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के सचांलक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 02.11.2021 को समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के प्रावधान अनुसार वर्तमान में संघ के संचालक मंडल की समस्त शक्तियां पंजीयक/कार्यकारी संचालक में निहित है।

23.2 राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार : -

23.2.1 तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 :-

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लॉट्स बनाये गये है, जिसमें से 01 लॉट में संग्रहण निरंक रहा। 03 लॉटों मे अवैध संग्रहण हुआ जिसे जप्त कर 03 नये लॉट बनाये गये। इस प्रकार कुल 956 लॉट बनाये गये। वर्ष 2022 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी 956 लाटों में से 956 लाटों में 15.83 लाख मानक बोरा का संग्रहित कर 15.81 लाख मानक बोरा भण्डारित की गयी। 956 लाटों में से 877 लाटों की 14.60 लाख मानक बोरा का विक्रय रू. 1074 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 7,354/– प्रति मानक बोरा रहा।

तालिका - 03

संग्रहण वर्ष 2022 का तेन्दूपत्ता व्यापार

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लॉटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य) (रू.में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
1	2	3	4	5	6	7	8
बीजापुर	45	80500	45	80938.356	80938.356	733067907.25	9057.11
सुकमा	48	90400	50	101902.824	66178.973	390149862.11	5895.37
दंतेवाड़ा	11	19000	11	19694.273	16780.250	98563628.47	5873.79
जगदलपुर	15	25100	15	16153.932	8446.465	34615856.34	4098.27
दक्षिण कोंडागांव	11	21000	11	17344.192	11642.835	53911900.58	4630.48
केशकाल	16	29300	16	26053.970	24876.270	126348179.91	5079.06
नारायणपुर	12	23100	12	24030.885	24030.885	144154914.85	5998.74
पूर्वभानुप्रतापपुर	56	96900	56	97326.265	97326.265	876517446.06	9005.97
प.भानुप्रतापपुर	55	80400	55	79799.065	77207.430	599157509.05	7760.36
कांकेर	24	38100	24	37049.055	37049.055	303930318.78	8203.46

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लॉटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य) (रू.में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
1	2	3	4	5	6	7	8
राजनांदगांव	51	84400	51	73257.435	72768.700	594709190.74	8172.60
खैरागढ़	24	42600	24	37055.380	37055.380	239694307.47	6468.54
बालोद	18	26900	18	22742.725	2274.725	175248104.00	7705.68
कवर्धा	24	40800	24	41760.270	40616.600	260747925.00	6419.74
धमतरी	23	27300	23	25643.495	25643.495	199114160.23	7764.70
गरियाबंद	62	84300	62	82505.640	81333.485	704514652.28	8662.05
महासमुंद	69	95400	69	83596.215	83596.215	654384908.64	7827.93
बलौदा बाजार	16	25600	16	22303.630	22303.630	168179454.86	7540.45
बिलासपुर	21	32200	21	30175.260	29109.535	210849719.91	7243.32
मरवाही	14	21900	14	22004.482	22004.482	156434136.17	7109.19
जांजगीर–चांपा	7	10700	7	8051.840	5798.745	26459947.39	4563.05
रायगढ़	41	60700	41	55223.195	55223.195	386865066.56	7005.48
धरमजयगढ़	53	82500	53	82508.320	82508.320	710528952.04	8611.60
कोरबा	34	53200	34	52777.360	52777.360	456572972.92	8650.92
कटघोरा	39	78500	39	73949.815	72070.895	611313201.22	8482.11
जशपुर नगर	20	39000	20	32987.916	25167.450	155772189ण.53	6189.43
मनेन्द्रगढ़	20	44500	20	44917.395	44917.395	274631735.79	6114.15
कोरिया	16	33400	16	34763.040	34763.040	243148725.95	6994.46
सरगुजा	15	38000	15	36331.020	36331.020	236558155.05	6511.19
बलरामपुर	64	165700	64	143615.916	99773.603	490613766.82	4917.27
सूरजपुर	30	80300	30	74167.119	68717.845	418344533.35	6087.86
कुल योग	**954**	**1671700**	**956**	**1580630.285**	**1459699.899**	**10735103329.32**	**7354.32**

23.2.2 तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 :-

तेन्दूपत्ता संग्रहण उपरांत फड़ों में सुखाई का कार्य

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 सीजन में तेन्दू पत्ता संग्रहण दर निर्धारण किया जा रहा है। प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2023 में लगभग 16.72 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। तेन्दू पत्ते के अग्रिम निर्वतन हेतु दिनांक 15.12.2022 से 21.12.2022, 10.01.2023 से 13.01.2023 एवं 27.01.2023 से 31.01.2023 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है। इस ऑनलाईन निविदा की विशेषता यह है कि इसमें निविदाकारों द्वारा निविदा दरों का प्रस्ताव तथा सत्यंकार की राशि दोनों ऑनलाईन दी जाती है, जिससे कि निविदाकारों तथा शासकीय अमले दोनों को ही बहुत सुविधा होती है। प्रथम निविदा में 954 लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.72 लाख मानक बोरा में से 451 लाटों की 7.85 लाख मानक बोरा का विक्रय रू. 590.70 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 7,525/– प्रति मानक बोरा रहा।

23.3 बीमा शाखा (बीमा एवं छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएँ) :-

23.3.1 तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें :-

(I) **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना** :- प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से कम किन्तु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 4.00 लाख प्रदाय की जाएगी। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 1.00 लाख की सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामाकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 30,000/– तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू. 75,000/– की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में रू. 75,000/– तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में रू. 37,500/– की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा वहन की जा रही है।

समस्त जिला यूनियनों के तेन्दूपत्ता संग्राहक मुखिया को योजना प्रारंभ तिथि से माह दिसंबर– 2022 तक की स्थिति में कुल 4692 प्रकरण में राशि रू. 71,02,55,000/– का भुगतान किया गया है।

(ii) **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)** :- वर्ष 2020–21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की सदस्यों के मृत्यु होने पर मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/– भुगतान किया जाता है। समस्त जिला यूनियनों के तेन्दूपत्ता संग्राहक सदस्यों को योजना प्रारंभ तिथि से माह दिसंबर–2022 तक की स्थिति में कुल 4154 प्रकरणों में राशि रू. 4,98,48,000/– का भुगतान किया गया है।

23.3.2 संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं :-

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसै मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना लागू है। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लागू की गई है ।

(i) **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु** :- मेधावी छात्र–छात्राओं को पुरस्कार के तहत् प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/– तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/– पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में मेधावी छात्रवृत्ति अंतर्गत कक्षा के 10वी के 1436 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 35,90,000/– एवं कक्षा 12वी के 1307 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 39,21,000/– कुल 2743 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 75,11,000/–का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।

(ii) **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु** :- तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उनको कक्षा 10वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/– तथा कक्षा 12वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रू. 25,000/– शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति अंतर्गत कक्षा 10वी के 3321 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 4,98,15,000/– एवं कक्षा 12वी के 1192 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 2,98,00,000/– कुल 4513 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 7,96,15,000/– का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।

(iii) **व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति** :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यावसायिक कोर्स जैसे–इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में व्यावसायिक कोर्स छात्रवृत्ति हेतु 250 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 20,65,000/–का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।

बस्तर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से लागू है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी.नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– उपलब्ध करायी जाती है।

(iv) **गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना** : - प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर–व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रू. 5,000/– द्वितीय वर्ष में रू. 4,000/– एवं तृतीय वर्ष में रू. 3000/– अर्थात् तीन वर्षो में कुल रू. 12,000/– की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021–22 में गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु प्रवेश प्राप्त 1477 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 66,52,000/– का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।

23.3.3 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022–23 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2022–23 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 783 है। बीमा की राशि रू. 1,00,000.00 है। 05 समिति प्रबंधकों का बीमा क्लेम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें से 02 प्रबंधको का बीमा क्लेम प्राप्त हुआ है।

23.3.4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फड़मुंशियों का समूह बीमा :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फॅड़मुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए बीमा कराया गया है। वर्ष 2022–23 में बीमित फॅड़मुंशियों की संख्या 9978 है। बीमा की राशि रू. 1,00,000.00 है । जिला यूनियनों से फड़मुशियों का बीमा दावा प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम, रायपुर को सीधे प्रेषित किया जाता है एवं भुगतान सीधे दावेदार के खाते में की जाती है।

23.4 तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण :-

तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। वर्ष 2020 के तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 34.21 करोड़ (समारोह व्यय घटाकर) का वितरण किया जाना है, जिसमें से राशि रूपये 33.40 करोड़ का वितरण संग्राहकों को किया जा चुका है। राशि का वितरण संग्राहकों के खातों में सीधे संघ मुख्यालय से किया गया है। विवरण तालिका 4 में दिया गया है :–

क्र.	जि.यू. का नाम	वितरण योग्य राशि (रू. में)	वितरित राशि (रू. में)
1	2	3	4
1	बीजापुर	92,24,0080.00	90,99,502.00
2	सुकमा	3,98,99,997.00	3,98,99,997.00
3	दंतेवाड़ा	–	–
4	जगदलपुर	7,07,592.00	7,07,592.00
5	दक्षिण कोण्डागांव	–	–
6	केशकाल	4,32,246.00	4,21,208.00
7	नारायणपुर	–	–
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	4,29,02,445.00	4,10,08,233.00
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	1,36,85,372.00	1,36,48,527.00
10	कांकेर	1,57,23,981.00	1,55,58,253.00
11	राजनांदगांव	2,46,20,303.00	2,46,0,050.00
12	खैरागढ़	34,87,530.00	3,8,530.00
13	बालोद	32,04,539.00	31,80,453.00

क्र.	जि.यू. का नाम	वितरण योग्य राशि (रू. में)	वितरित राशि (रू. में)
1	2	3	4
14	कवर्धा	17,204.00	1,204.00
15	धमतरी	66,66,155.00	66,66,155.00
16	गरियाबंद	4,24,13,354.00	4,24,13,35.00
17	महासमुन्द	1,72,30,351.00	1,72,30,351.00
18	बलौदाबाजार	50,61,172.00	50,61,172.00
19	बिलासपुर	12,96,554.00	12,45,678.00
20	मरवाही	34,58,277.00	31,08,028.00
21	जांजगीर–चांपा	58,843.00	58,843.00
22	रायगढ़	54,61,106.00	54,10,493.00
23	धरमजयगढ़	4,12,49,457.00	4,12,49,457.00
24	कोरबा	2,84,37,741.00	2,84,37,741.00
25	कटघोरा	2,63,38,127.00	2,11,61,060.00
26	जशपुरनगर	63,273.00	52,218.00
27	मनेन्द्रगढ़	9,58,837.00	9,58,83.00
28	कोरिया	35,78,674.00	33,92,931.00
29	सरगुजा	2,38,428.00	28,42,370.00
30	बलरामपुर	—	—
31	सूरजपुर	3,83,768.00	30,83,768.00
	योग	**34,21,99,334.00**	**33,40,08,005.00**

* शेष राशि के वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।

23.5 अकाष्ठीय वनोपज विकास- वर्ष 2021-22 में कार्यों की प्रगति :-

23.5.1 लघु वनोपज संग्रहण :

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना :-

लघु वनोपज संग्रहण :- भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 38 लघु वनोपज एवं राज्य स्तर पर 27 लघु वनोपज हेतु समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए कुल 65 लघु वनोपज का क्रय प्रदेश में महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। क्रय किये जाने वाले लघु वनोपज सूची में कोदो, कुटकी, रागी, आमचूर एवं कोसा ककुन जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों को सम्मिलित किया गया।